


॥ महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांक:- सामान्य/स्थायी आदेश/2009/12577-677 दिनांक:- 21/6/10

संशोधित स्थायी आदेश (2/2009)

इस कार्यालय के पूर्व में पत्र संख्या सामान्य/स्थायी आदेश/09/46690-790 दिनांक 21.12.09 के द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 2/2009 में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश प्रसारित किये जाते है कि पूर्व उक्त स्थायी आदेश के साथ सलंगन भिजवाये गये प्रपत्र संख्या 2, 3, एवं 6 को हटाकर उसके स्थान पर नया प्रपत्र संख्या 2 जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ सलंगन भिजवाई जा रही है, जिसके अनुसार अभिलेख का संधारण किया जावे।


सलंगन:- प्रपत्र संख्या-2


महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1- समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/ उप कारागृह, राजस्थान।
- 2- प्रार्चाय कारागार, प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
- 3- प्रभारी, बंदी/सामान्य/स्थापना/निरीक्षण शाखा, महानिदेशालय कारागार, राज0 जयपुर।




महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान जयपुर

प्रपत्र-2 रेमीशन पंजिका

दण्डित बंदियान को वर्ष की प्रथम/द्वितीय/तृतीय /चतुर्थ तिमाही में बंदी के आचरण व दण्ड को दृष्टिगत रखते हुये देय परिहार की अनुशंषा की जाती है :-

क्र. स.	बंदी पंजिका क्रमांक	प्रवेश क्रमांक	नाम बंदी पिता	मय	आचरण पर टिप्पणी	यदि दण्डित है तो दण्ड का विवरण	कितने दिन का परिहार दिया जाये
1	2	3	4	5	6	6	



कारापाल
कारागृह.....